

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

<p>प्रश्न की प्रकृति</p> <p>मैंने अपना बिल प्रस्तुत किया है। मुझे अपने बिल का भुगतान कब तक मिल जाएगा।</p> <p>मुझे टीडीएस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>टीडीएस प्रमाणपत्र में वार्ड एवं सर्कल संख्या नहीं दर्शाई गई है।</p> <p>मुझे ईएमडी/एसडी धन वापसी कैसे मिलेगी।</p>	<p>हमारे विक्रेताओं द्वारा अपने बिलों संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का हमने जवाब दिया है। यदि आप को कोई और जानकारी चाहिए तो कृपया संपर्क प्रपत्र के माध्यम से हमें मेल करें। हमारे द्वारा आपके प्रश्नों का उचित जवाब दिया जाएगा।</p> <p>सामान्यतः बिलों को लेखा विभाग में प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर मंजूर कर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया कार्यपालक विभाग से संपर्क करें।</p> <p>टीडीएस प्रमाणपत्र सामान्यतः चैक के साथ ही भेज दिए जाते हैं। कृपया रोकड़ विभाग से संपर्क करें।</p> <p>रेल मंत्रालय द्वारा टैक्स कटौती भारत सरकार के वित्त विभाग को पुस्तक समायोजन (बुक एडजस्टमेंट) के जरिए हस्तांतरित किया जाता है। यह किसी भी आयकर कार्यालय में प्रेषित नहीं किया जाता है।</p> <p>कृपया कार्यपालक विभाग से संपर्क करें जिनके लिए आपने कार्य निष्पादित किया है। (आपूर्ति के मामले में भंडार से एवं अन्य कार्यों के मामले में यांत्रिक, बिजली, सिविल इंजीनियरी, कार्मिक, चिकित्सा आदि संबंधित विभाग से संपर्क करें)</p>
---	--